राज्य सैक्टर (आयोजनागत)

संख्या 2525/लो॰नि॰ 2/03-1(69 कनाली छीना)/2002

प्रेषक,

टी॰के॰पन्त,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामे,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून, दिनांक 21 नवम्बर, 2003

विषय:- वित्तीय वर्ष 2003-2004 मे नये मार्गो/ सेतुओ की वित्तीय स्वीकृति ।

-----x-----

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 1973/130 यातायात-उत्तरांचल/2003 दिनांक 17-5-2003 के संदर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष -2003-2004 मे जनपद पिथौरागढ मे विधान सभा क्षेत्र कनालीछीना के अन्तर्गत प्रस्तावित संलग्न सूची मे उल्लिखित 11 (ग्यारह) मोटर मार्गो के निर्माण/विस्तारीकरण के कार्यो हेतु प्रेषित आगणनो पर टी॰ए॰सी॰ वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त कुल आंकलित धनराशि रू0 70.80 लाख (रू0 सत्तर लाख अस्सी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003-04 मे रू0 59.80 (रू0 उनसठ लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. (क) मार्ग निर्माण से पूर्व परियोजना के विस्तृत सर्वेक्षण आदि का कार्य विस्तृत प्लान क्रास सेक्शन तथा एल॰सैक्शन तैयार कर नियमानुसार प्लान एवं एल॰ सेक्शन को अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदित करा ले ।

(ख) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ले, एवं विस्तृत आगणन मे एक मुश्त प्राविधान न रखे जाये ।

(ग) सेतुओ की स्थल निरीक्षण पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाय तथा परिकल्पनाओं की गणना के आधार पर कार्य किया जाय ।

(घ) कार्य की स्वीकृति लोक निर्माण विभाग की स्वीकृत विशिष्टयो के अनुरूप किया जायेगा ।

3. नव निर्माण मोटर मार्ग हेतु जो भूमि अर्जित की जायेगी उसे निर्माण के दौरान भूमि को सम्बन्धित विभाग के नाम करा दी जाय, तथा खाता-खतौनी खसरा से सम्बन्धित विभाग अपने अधीन रखेंगे ।

4. निर्माण कार्य का वित्त पोषण नये निर्माण कार्यो हेतु एक मुश्त व्यस्थित धनराशि मे से किया जायेगा ।

5. व्यय करने से पूर्व जिन मामलो मे बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमो तथा अन्य स्थायी आदेशो के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी

क्रमशः 2/-

की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमे व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनो/ पुनरीक्षित आगणनो पर प्रशासकीय/ वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनो पर सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय, तथा उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्ही कार्यो पर किया जाय जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

6. व्यय उन्ही मदो पर किया जायेगा जिनके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

7. यदि उक्त कार्य के लिये अन्य विभागीय बजट मे कोई धनराशि अवमुक्त हो चुकी हो तो उसके लिये धनराशि का आहरण नही किया जायेगा ,या उसी सीमा तक धनराशि आहरित की जायेगी, जिस सीमा तक कार्य अवशेष है, अवशेष बची धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी ।

8. भविष्य मे नियमानुसार 80 प्रतिशत चालू कार्य तथा 20 प्रतिशत नये कार्य के सिद्धान्त का अनुपालन करते हुए निर्माण कार्य दो वर्षो मे पूरा कराया जायेगा ।

9. वित्तीय वर्ष के अन्त तक उपरोक्त धनराशि से कुल कार्यो की वित्तीय और भौतिक प्रगति से शासन को अवगत कराया जायेगा ।

10. जिन कार्यो के लिए पूर्ण धनराशि स्वीकृत की जा रही है उनको दि0 31-3-2004 तक एवं एक निर्माण कार्य जिसके लिए आधी के लगभग धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसे दो वर्ष मे पूर्ण करने एवं कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए संबंधित अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी होगे । कार्य समयबद्ध अवधी मे पूर्ण न किये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

11. कार्य उक्त अनुमोदित लागत मे पूर्ण कर दिया जायेगा । यदि विलम्ब के कारण इसकी लागत मे वृद्धि होती है तो इसकी लागत मे कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नही होगा ।

12. इस कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2003-04 के अनुदान सं0 22 लेखाशीर्षक-5054 सडको तथा सेतुओ पर पूँजीगत परिव्यय -04-जिला तथा अन्य सडके - आयोजनागत-800-अन्य व्यय -03 राज्य सैक्टर-02-नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

13. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 सं0 1779/वित्त अनुभाग-3/2002 दिनांक 18, नवम्बर, 2003 मे प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक:- कार्यो की सूची ।

भवदीय

(टी.के. पन्त)
उप सचिव ।

संख्या 2525 (1)/लो.नि. 2/2003, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल, इलाहाबाद/ देहरादून ।
2. आयुक्त कुमाऊ मण्डल, नैनीताल ।
3. श्री एल.एम.पन्त, अपर सचिव, वित्त बजट अनुभाग, उत्तरांचल शासन ।
4. जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी पिथौरागढ ।

क्रमशः/-

5. वरिष्ठ कोषाधिकारी ,देहरादून ।
6. मुख्य अभियन्ता ,कुमाऊ क्षेत्र,लोक निर्माण विभाग,अल्मोडा ।
7. अधीक्षण अभियन्ता ,12 वां वृत्त,लोक निर्माण विभाग,पिथौरागढ ।
8. निजी सचिव,मुख्य मंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ ।
9. वित्त अनुभाग-3 / वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तरांचल शासन ।
10. वित्त नियन्त्रक,कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-। लोक निर्माण विभाग देहरादून ।
11. लोक निर्माण अनुभाग-।,उत्तरांचल शासन ।
12. गार्ड बुक ।

आज्ञा से

ह० टी० के० पन्त ह०
उप सचिव ।

देश संख्या 2525/लो0नि-2/2003-1(69 कनालीछीना)/02 दिनांक 21 नवम्बर,
का संलग्नक ।

(धनराशि लाख रुपये में)

	कार्य का नाम	लम्बाई किमी. में	प्रस्तावित लागत	टी.ए.सी. द्वारा अनुमोदित लागत	वित्तीय वर्ष 2003-2004 में आवंटन
1	2	3	4	5	6
1.	धूवालेख-काना मो0मा0 का विस्तारीकरण	2.00	8.60	8.60	8.60
2.	भागीचौरा-सैलोनी-ओलखी मो0मार्ग का निर्माण	1.00	4.30	4.30	4.30
3.	गोवत्सा-अणागांव ख्वांकोट - भागीचौरा मो0मा0 का विस्तार	1.00	4.30	4.30	4.30
4.	बगौर से शहीद जवाहर सिंह धामी के गांव कुशकटिया होकर विनकोट-धूर्व मोटर मार्ग का निर्माण	1.00	4.30	4.30	4.30
5.	छडनदेव-इन्ड कर्णधार गैरगडा चमडुंगरी मो0मा0 का निर्माण	1.00	4.30	4.30	4.30
6.	बन्दरलीमा-अणागांव मोटर मार्ग का विस्तार	1.00	4.30	4.30	4.30
7.	पस्मा से हविश्वर तक मोटर मार्ग का विस्तार	1.00	4.30	4.30	4.30
8.	ब्लाल से बर्तियाकोट तक लिंक मो0मा0का निर्माण कार्य	0.500	2.15	2.15	2.15
9.	सातशिलिंग-नाधर-भूलगांव मोटर मार्ग का विस्तार	0.500	2.15	2.15	2.15
10.	देवलथल-कनालीछीना मोटर मार्ग के किमी0 2 व 3 में पुनःनिर्माण व सुधार कार्य	2.00	21.40	21.40	10.40
11.	कडमानले-दोवांस मोटर मार्ग का पुनः निर्माण व सुधार कार्य	1.00	10.70	10.70	10.70
	योगः-		70.80	70.80	59.80

(रुपये उनसठ लाख अस्सी हजार मात्र)

(टी0के0 पन्त)
उप सचिव ।